

अति आवश्यक सेवा हेतु ड्यूटी पास

भार प्रेषण केन्द्र/ अति उच्च दाब उपकेन्द्रों / मेंटेनेन्स गैंग के कार्यों में संलग्न तथा अति आवश्यक विद्युत व्यवस्था हेतु कार्यरत कंपनी कार्मिक कार्मिक श्री.....कार्यालय.....

..... को अति आवश्यक सेवा (विद्युत प्रदाय से संबंधित कार्य) के लिये उपस्थिति हेतु जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी नोवल कोरोना वायरस (COVID 19) के संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत जारी किये गये लाक-डाउन आदेश एवं समय-समय पर लाक-डाउन आदेशों के विस्तारण की अवधि में कार्य पर आने-जाने हेतु यह ड्यूटी पास जारी किया जाता है।

यह ड्यूटी पास जिला दंडाधिकारी/ जिला द्वारा जारी आदेशों की अवधि समाप्त होने पर स्वतः शून्य (निरस्त) माना जावेगा। इस पास के साथ-साथ संबंधित कंपनी कार्मिक को कंपनी द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा।

स्थान-

नियंत्रक अधिकारी की सील एवं हस्ताक्षर

दिनांक-